



Madhav Saraswati Vidya Mandir

Madhav Marg, Subhanpur Mandaula (Baghpat) U.P.
Mob. : 9211629307, E-mail : msvmsubhanpur@gmail.com

Ref. No. 4/2021-22

Date 12/04/2021

(Self- attested recognition certificate expiry date)

The Deputy Secretary (Aff.)

CBSE

Subject: Recognition certificate expiry date

Sir,

In reference to the subject cited above, we would like to state as per government of Uttar Pradesh letter No: 419/ 79- 6- 2013- 18 (20) 91 our recognition has become permanent in nature.

So, we would like to mention recognition certificate expiry date: 31/ 03/ 2040.

Regards

PRINCIPAL

MADHAV SARASWATI VIDYA MANDIR
Subhanpur Mandaula (Baghpat)

मूल प्रारं (4)

2739/ST-Camp
संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91

प्रेषक,
सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

BSA

सेवा में,
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

मिलाधिकारी,
बागपत 9-5-13

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिव्रतित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना

श्री रविशंकर / लखनऊ / आदि आवश्यक

कार्यालय - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-बागपत
पतांक 11043-49 12013-14 दिनांक 15/05/13

समस्त बाल शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने अपने क्षेत्र में निदेशित किया गया शासनादेश का अनुपालन करवा लें।
बागपत
11/05/13

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

PRINCIPAL

रविशंकर

Scanned with CamScanner

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असाहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
21/13
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
 2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 3. अपर शिक्षा निदेशक (वे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
 4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
 6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
 8. गार्ड फाईल।

मे/

आज्ञा से,
(मर्मता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।
रवि प्रकाश


PRINCIPAL

रवि प्रकाश

MADHAV SARASWATI VIDYA MANDIR
Subhanpur Mandaula (Baghpat)

OO RP